गलत रास्ता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

28 जनवरी, 2022

अध्यादेश के माध्यम से लोकायुक्त कानून को कमजोर करने का केरल का कदम संदिग्ध है।

केरल सरकार का अध्यादेश के माध्यम से अपने लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव संदिग्ध और जल्दबाजी में लाया हुआ प्रतीत होता है।

भले ही वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार प्रस्तावित संशोधनों को सही ठहराने के लिए कानूनी राय का हवाला दे रही है, लेकिन यह एक ऐसा आभास देती है कि यह एक ऐसे प्रावधान से जुड़ी अंतिमता को हटाने के लिए एक अनुचित जल्दबाजी में है जो भ्रष्टाचार विरोधी न्यायिक निकाय को निर्देश देने की अनुमति देता है।

यदि कोई आरोप सिद्ध होता है तो लोक सेवक को पद खाली करना होगा। विपक्ष द्वारा आलोचना की जा रही है कि परिवर्तन लोकायुक्त कानून को कमजोर कर सकता है, वैध प्रतीत होता है, क्योंकि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 इसका सबसे कठोर प्रावधान है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और भाजपा दोनों ने राज्यपाल से अपील की है कि वे कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को जारी न करें। विपक्षी दलों ने सुझाव दिया है कि प्रस्ताव को लोकायुक्त द्वारा कैबिनेट के सदस्यों के खिलाफ चल रही पूछताछ से जोड़ा जा सकता है। साथ ही, वर्तमान शासन इस विशेष प्रावधान से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

अप्रैल 2021 में उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के.टी. जलील लोकायुक्त द्वारा भाई-भतीजावाद का दोषी पाए जाने के बाद को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसा लगता है कि वर्तमान शासन को इस प्रकरण के बाद ही लोकायुक्त की 'घोषणा' की बाध्यकारी प्रकृति के निहितार्थों का एहसास हुआ है कि एक लोक सेवक, जिसके खिलाफ आरोप प्रमाणित है, को पद पर बने नहीं रहना चाहिए। यह अजीब बात है कि सरकार अब कहती है कि यह धारा असंवैधानिक है जबकि इसे श्री जलील स्वयं चुनौती दे सकते थे।

सरकार ने प्रस्तावित अध्यादेश का इस आधार पर बचाव किया है कि यह धारा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा विधिवत नियुक्त मंत्री को हटाने के बराबर है, और संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें इस आशय का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि राज्यपाल, सरकार या प्राधिकरण तीन महीने के भीतर लोकायुक्त के निष्कर्षों पर निर्णय ले सकते हैं। यह एक अपील के लिए भी प्रदान करना चाहता है।

हालांकि, ये वैध बिंदु हैं, फिर भी अध्यादेश के मार्ग को अपनाने पर सवाल उठना लाजमी है। यह भी उत्सुक है कि इस प्रावधान को अब असंवैधानिक माना जाता है जब यह ई.के. नयनार ने 1999 में कानून बनाया था। यह कानून अपने समय से काफी

आगे का था, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि की स्वत: अयोग्यता का मार्ग प्रशस्त करने से बहुत पहले एक प्रतिकूल न्यायिक निष्कर्ष के बाद एक लोक सेवक को पद से हटाने की परिकल्पना की गई थी।

यह केवल 2013 में था कि शीर्ष अदालत ने चुनाव कानून में एक खंड को रद्द कर दिया था, जो एक सेवारत विधायक को एक अपील दायर और निपटारा होने तक दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता से बचाता था। भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए सही मायने में निपटाए गए शासन को आम तौर पर एक ऐसे कानून के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए जो एक स्वतंत्र न्यायिक मंच को एक लोक सेवक को पद छोड़ने का निर्देश देता है।

यदि उसे प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से आपत्ति है, तो उसे विधानसभा में प्रासंगिक संशोधनों को पेश करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. लोकायुक्त किस प्रकार की संस्था है?

(क) संवैधानिक

(ख) निगम

(ग) सांविधिक

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Expected Question (Prelims Exams)

Q. What type of institution is Lokayukta?

(a) Constitutional

(b) Corporation

(c) Statutory

(d) None of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "लोकायुक्त जैसे भ्रष्टाचार निरोधी संस्था के अधिकारों का हनन सुशासन के लक्ष्य को कमजोर करता है।" केरल सरकार के मामले का विश्लेषण इस कथन के संदर्भ में कीजिए। (250 शब्द)

Q. "The diminization of the authority of an anti-corruption institution like Lokayukta undermines the goal of good governance." Analyze the case of Kerala Government in the context of this statement. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अत: इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।